

# प्रारम्भिक डिकी

(आदेश 20 के नियम 8 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मावली जिला उदयपुर

## सुनवान

1. श्री आशीष पिता रामचन्द्र अग्रवाल निवासी 136, हिरण मगरी रो. 11 उदयपुर।
2. श्री दीपक पिता रामचन्द्र अग्रवाल निवासी 136, हिरण मगरी रो. 11 उदयपुर।

वादीगण

## बनाम

1. श्री कन्या पिता भजा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
2. श्री पेमा पिता भजा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
3. श्री धन्ना पिता भजा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
4. श्रीमती नानी पिता भजा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
5. श्रीमती चन्दनी पिता भजा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
6. श्रीमती ऐजी पत्नि भजा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
7. श्री नन्दा पिता पूरा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली मृतक के बजाय
- 7/1. श्री धनराज पिता नन्दा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
- 7/2. श्रीमती लोगरी बाई पिता नन्दा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
- 7/3. श्रीमती अण्डीबाई पिता नन्दा गाडरी निवासी सुखवाडा तह मावली।
8. श्री वरदा पिता पूरा गाडरी निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
9. श्री जेताराम माता केसीबाई (पिता खुमा) गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
10. श्री गंगाराम माता केसीबाई नाबालिग बविलायत पिता खुमा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
11. श्री रूपलाल माता केसीबाई नाबालिग बविलायत पिता खुमा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
12. श्री नारायणलाल माता केसीबाई नाबालिग बविलायत पिता खुमा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
13. श्री मोहनलाल माता केसीबाई नाबालिग बविलायत पिता खुमा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
14. सुश्री लक्ष्मी माता केसीबाई नाबालिग बविलायत पिता खुमा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
15. श्री शंकरलाल माता केसीबाई नाबालिग बविलायत पिता खुमा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
16. श्री देवा पिता लखा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
17. नानी पिता लखा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
18. श्री राजू पिता लखा गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
19. श्री जगन्नाथ पिता नवला गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
20. श्री धन्ना पिता जगा जाति गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
21. श्री वगतु पिता जगा जाति गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
22. श्रीमती घीसी पत्नी जगा जाति गाडरी निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
23. श्री भगा पिता जोधा जाति गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
24. भूरी पिता जोधा जाति गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
25. उदी पिता जोधा जाति गाडरी, निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
26. मेगा पिता मोती जाति गाडरी निवासी सुखवाडा, तहसील मावली।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।
28. पटवारी, पटवार हल्का साकरियाखेडी, तहसील मावली।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 174/17 वाद

निर्णय दिनांक : 09.04.19

वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि - मौजा सुखवाडा, पटवार हल्का साकरियाखेडी तहसील मावली की आराजी नम्बर 367, 368, 942/368, 943/368, 944/368 किता 5 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा एवं आ. न. 369 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा एवं आ.न. 800, 953/803 किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्सेनुसार हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रुपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावे। फिस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें। यह आज तारीख 09.04.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



( मोहन सिंह )  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक अधिकाधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर मावली